


न्यायालय उपजिलाधिकारी आलापुर, जनपद - अम्बेडकरनगर।

सिंगारी देवी कालेज आफ एजुकेशन मतेना मिर्जापुर ब्याम- पुनमलता आदि



30 धारा 176 जे थि अधि

मोजा- मतेना मिर्जापुर, पर0-बिहार,

तहसील-आलापुर, जिला- अम्बेडकरनगर।

वाद से

प्रस्तुत वाद रामधारी पुत्र राजमणि यादव द्वारा बहसियत प्रबन्धक सिंगारी देवी कालेज आफ एजुकेशनल मतेना मिर्जापुर, 30 धारा 176 जे थि अधि वादवादा गाटा से 746/0. 363 से स्थित ग्राम- मतेना मिर्जापुर, पर0-बिहार, तहसील- आलापुर, जिला- अम्बेडकरनगर प्रस्तुत किया गया है, जो दिनांक- 20-10-2011 को निर्णीत किया जा चुका है, जिससे विवादित भूमि में वादियों का अंश 350/363 भाग तथा प्रतिवादी नं0 1 पुनमलता पत्नी जमुना प्रसाद का अंश 13/363 भाग निर्धारित करके पत्रावली तहसील्दार आलापुर के यहाँ कुरा फाँट तैयार कराने से इच्छित थी मन्ने तहसील्दार आलापुर दिनांक- 17-11-2011 को कुरा फाँट क

अफ एजुकेशनल का अंश पीले रंग से व प्रतिवादी पुनमलता का अंश हरा रंग से दर्शाया है, प्रस्तुत कुरा उभय पक्षों को स्वीकार है, इसके विरुद्ध किसी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गयी है, कुरा स्वीकार किया जाता है, पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दादो दौ हो।



मिरजापुर
शाहजहाँ 250
संख्या नं 23

16/11/11
उपजिलाधिकारी
आलापुर।

True Copy
Date 16-11-11
Reader to S.D.M. Alapur



महोदय,

श्री रामचंद्राचार्य पादरुद्र राजमठि पादरुद्र निवासी इमासुदीनसुट पणना विष्ट
वहसील कालासुटजिला अखंडरामप्रवच्युसिंगापी देवी स्मालु महाविद्यालय
रामनगर (मसेनामिर्जासुट) में गांव सभा आदि के विरुद्ध जमींदारी विनाशकारी
कोषा 143 के अन्तर्गत नाम मसेनामिर्जासुट में स्थित गांव से (वा) 630मी. रस्ता
0-502 हे० में से 0-461 हे० को जी. ए. कार्प से इतर संस्थानिक उपयोग के निमित्त
लगानपुस्त आदि घोषित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया है। इस सम्बन्ध
में स्थानीय जांच की गयी जाया निम्न प्रकार है।

जनाम मसेनामिर्जासुट पणना विष्ट वहसील कालासुटजिला अखंडरामके
अभिलेखों में रवाहा संख्या 367 पणगा संख्या 630मी. रस्ता 0-502 हे० में सिंगापी देवी
स्मालु महाविद्यालय रामनगर (मसेनामिर्जासुट) प्रवच्युसिंगापी देवी राजमठि निवासी
के नाम संकलनपि आदि के रवाहा में अंकित है। संलग्न पैनामा के आधारे पर गांव
से (वा) 630मी. रस्ता 0-461 हे० पणगा देवी स्मालु महाविद्यालय रामनगर
(मसेनामिर्जासुट) की संस्था का स्थापित है। इस क्षेत्रफल पर महाविद्यालय को
चट्टीवादी, मगत हैंडपाप, तथा खेल का मैदान स्थित है। जो कृषि कार्प के
आतिरिक्त शैक्षणिक प्रयोजन में प्रयुक्त हो रहा है। इस आदि पर महाविद्यालय
निर्विनाश रूप से चल रहा है। तथा कब्जा व दावत है। इसमें कृषि कार्प
नहीं होता है। इस आदि को कृषि कार्प के इतर लगान पुस्त संस्थानिक
उपयोग की आदि घोषित किया जा सकता है।

अतः जनाम मसेनामिर्जासुट के अभिलेखों में रवाहा संख्या 367 पणगा
संख्या 630मी. रस्ता 0-461 हे० सिंगापी देवी स्मालु महाविद्यालय एमनगर
मसेनामिर्जासुट का नाम कृषि कार्प से इतर संस्थानिक उपयोग की आदि घोषित
किए जाने हेतु काया सेवा में घोषित है।

श्री रामचंद्राचार्य पादरुद्र
मसेनामिर्जासुट
18-5-09

महोदय,

जनाम मसेनामिर्जासुट की रवाहा खेती से (वा) 367 पणगा संख्या 630मी. रस्ता
पणगा देवी स्मालु महाविद्यालय रामनगर (मसेनामिर्जासुट) प्रवच्युसिंगापी देवी
इमासुदीनसुट व शैक्षणिक सुजीर कुमा उमेश कुमा कुलगुण रामलगा नि. सिपाई के
नाम संकलनपि आदि के रवाहा में अंकित है। संलग्न पैनामा के आधारे पर गांव से
630मी. रस्ता 0-461 हे० सिंगापी देवी स्मालु महाविद्यालय रामनगर (मसेनामिर्जासुट) को
रामचंद्राचार्य राजमठि इमासुदीनसुट का स्थापित व कब्जा दावत है। इस आदि
पर महाविद्यालय की चट्टीवादी, हैंडपाप, शैक्षणिक जवन व खेल का मैदान है।
इसमें शैक्षणिक कार्प सुचारु रूप से होता चल रहा है। इसमें कृषि कार्प नहीं
किया जा रहा है। यह आदि कृषि कार्प से इतर संस्थानिक कार्प हेतु प्रयुक्त हो
रहा है।

दादल 93

RA.

pl. please not in

all can be in

at hand now

05/11/09

26/11/09
800

हस्ताक्षर
गोस

कामगारि
26-5-09
रुद्र राजमठि

उपमहोदय
22-5-09